ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 87-89**

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-18, No.- II, Issues-32, YEAR- April-June-2024

भूमण्डलीकरण के दौर में जनजातियों के समक्ष उनके विकास के मुद्दें

डॉ0 सन्दीप कुमार वर्मा

असि.प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, एस.एस. कॉलेज, शाहजहाँपुर (उ0प्र0), भारत

Received-21.04.2024, Revised-27.04.2024, Accepted-01.05.2024 E-mail: verma255andy@gmail.com

सारांश: *सम्पूर्ण भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 8.6 प्रतिशत हिस्सा जनजातियों का है। 2011 की जनगणना के अनुसार, सर्वाधिक अनुसुचित जनजातियाँ मध्यप्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या का लगभग 0.7 प्रतिशत निवास करता है। सन् 1931 की जनगणना में जनजातियों के लिए 'ट्राइबल' शब्द का प्रयोग किया गया लेकिन देश के आजाद होने के बाद भारत सरकार ने इन्हें सम्बोधित करने के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तो जनजातियों के अधिकार एवं इनके चहुमुखी विकास के लिए अनसूची एवं अनुच्छेदों के जरिए इनको संविधान में स्थान दिया गया तॉकि इनका समुचित विकास हो सके। वर्तमान समय में भारत में अनुसूचित जनजातियों के समूहों की संख्या लगभग 700 से अधिक है। वर्तमान समय भूमण्डलीकरण और उदारीकरण का है, ऐसे में भारतीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य समाज के पिछडें, दलित आदिम दूर–दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाना तभी भारत का सही मायने में विकास हो पाएगा।*

कुंजीभूत शब्द– भूमण्डलीकरण, विकास, जनजाति, आदिवासी, संविधान, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, अनुसुचित जनजातियाँ, जनसंख्या।

भारत में विभिन्न जाति, जनजाति, प्रजाति और धर्म के लोग रहते है, इसलिए भारत को प्रजातियों एवं जनजातियों का मेल्टिंग पॉट (melting pot) के रूप में जाना जाता रहा है। भारत में हजारों वर्षो से जंगलों और पहाडों में रह रही आदिम जनजातियों ने खुले मैदानों तथा सभ्यता के केन्द्रों में बसे लोगों से अधिक सम्पर्क स्थापित किए बिना ही अपना अस्तित्व को बनाए रखा है। जब तक अंग्रेज नही आए तब तक इनके समुदायों में कोई हलचल नही देखी गई और अंग्रेजों के आने के बाद और उनके द्वारा सम्पूर्ण देश में अपना शासन स्थापित करने लिए देश के दूर–दराज इलाकों में अपनें अधिकारियों, प्रशासकों, इसाई मिशनरियों, व्यापारियों आदि के माध्यम से इनके इलाकों में हलचल देखी गई और इनका धीरे–धीरे सम्पूर्ण समाज से इनका परिचय होना प्रारम्भ हुआ। देश के आजाद होने के बाद यहाँ की सरकारों ने इनके विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं, कार्यक्रम, और संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की तॉकि इनका समुचित विकास हो सके और इनको समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके।

अगर विकास के बारे में बात की जाए तो इसमें सकारात्मक दिशा में गुणात्मक परिवर्तन होता है और साथ ही इसमें परिणात्मक वृद्धि भी होती है। विकास की अवधारणा में योजनाएं और कार्यक्रमों का स्वरूप इस प्रकार होने पर बल देता है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा समाज के लोगों को लाभ हो सके (अहमद, 1999 से उद्धृत)।

भारत के सन्दर्भ में, आजादी के बाद से ही भारत कल्याणकारी देश रहा है और इसका प्राथमिक उद्देश्य देश की जनता का कल्याण करना रहा है। बहुत सारी नीतियाँ और कार्यक्रम ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से बनाए गये हैं। जनजातियों के विकास एवं गरीबी के उन्मूलन के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम बनाना भारत में नियोजित विकास का मुख्य उद्देश्य रहा है (भारत, 2017 से उद्धृत)।

जनजाति– आज भारत की जनसंख्या 1.40 अरब है। भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या में लगभग 16.6 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति और 8.6 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। आदिवासी एक शब्द है जिसका प्रयोग भारत में जनजातियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत में जनजातियाँ द्रविड–आर्य से पहले भारत की मूल जाति थी। आदिवासी से तात्पर्य विभिन्न जातीय समूहों से है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन निवासी माने जाते हैं। हलांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत में जनजाति और आदिवासी के अलग–अलग अर्थ है, जैसे जनजाति एक सामाजिक इकाई को संदर्भित करता है जबकि आदिवासी स्पष्ट रूप से प्राचीन निवासियों को संदर्भित करता है।

जनजातियों को विभिन्न मानवशास्त्री, समाजशास्त्री और प्रशासन के द्वारा अलग–अलग ढग से परिभाषित किया गया है। इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया के अनुसार, 'जनजाति' समान नाम धारण करने वाले परिवारों का एक संकलन है, जो समान बोली बोलते हों, एक ही भूखण्ड पर अधिकार करने का दावा करते हों अथवा दखल रखते हों, जो साधारणतया अन्तर्विवाही न हों यद्यपि मूल रूप में चाहे वैसे रह रहे हों।' डी.एन. मजूमदार के अनुसार, 'जनजाति परिवारों का एक समूह होती है जिसके सदस्य एक ही भाषा का प्रयोग करते है, एक ही क्षेत्र में निवास करते है तथा पेशा से सम्बन्धित समान निषेधों का पालन करते हैं तथा उनके बीच सुविकसित पारस्परिक विनिमय तथा आपसी लेन–देन की व्यवस्था पायी जाती है।' रिवर्स के अनुसार, 'जनजाति सरल प्रकार का सामाजिक समूह होती है जिनके सदस्य सामान्य बोली का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध जैसे सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु साथ–साथ काम करते हैं।' भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार 'जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदाय अथवा जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 242 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गये है।'

जनजातीय विकास विभाग, भरत सरकार (1978) के अनुसार, भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या 613 है। पीपुल आफ इण्डिया, ए.एस.आई. (1992) के अनुसार, सम्पूर्ण देश में 635 जनजातीय समुदाय हैं। जनसंख्या की दृष्टि से मध्यप्रदेश सबसे बडा जनजातीय प्रदेश है, जबकि प्रतिशतता की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे बडा संघ शासित प्रदेश है।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-18, No.- II, Issues-32, YEAR- April-June-2024

भूमण्डलीकरण– भूमण्डलीकरण एक बडी जटिल अवधारणा है। इसके अर्थो में बडी द्वन्द देखने को मिलता है। यह स्थानीयता एवं सार्वभौमिकता को आमने–सामने कर देती है, लेकिन फिर भी इसकी एक सार्वभौमिक विशेषता यह है कि यह स्थान और समय को सिमटने की बात करती है।

भूमण्डलीकरण का अर्थ एक देश की अर्थव्यवस्था के साथ विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकृत होना है। भूमण्डलीकरण के पीछे का कारक आर्थिक है इस कारण बहुत सारे परिवर्तन सभी जगह हो रहे है। भूमण्डलीकरण में भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था का एकीकरण होता है और ऐसा बाजार के वित्तीय प्रवाह, तकनीक और ज्ञान के आपसी आदान–प्रदान से होता है। नारायणमूर्ति (2009) कहते है कि 'यह विश्व भर में पूंजी, सेवाओं, वस्तुओं और श्रम का टकराव रहित प्रवाह है।' यह विश्व स्तर पर विचारों, ज्ञान और संस्कृति को भी बांटता है इससे राज्यों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्यों में भूमण्डलीय संस्थाओं का निर्माण हो रहा है (राबर्ट काक्स,1994)।

गिडेंस भूमण्डलीकरण अथवा वैश्वीकरण को समय एवं स्थान सिकुडने के रूप में बात करते हैं और इसकी व्याख्या 'दूरीकरण' द्वारा करते हैं। बेल स्टेन वैश्वीकरण की बात 'पूंजीवाद' के सन्दर्भ में करते है, जबकि रोजनाउ तकनीकी तंत्र के विकास की बात करते है। गिलपिन वैश्वीकरण को 'शक्ति की राजनीति' के साथ जोडते हैं। ये सब लेखक वैश्वीकरण की ब्याख्या एक कारक के साथ करते है, जबकि वैश्वीकरण एक बहुलवादी प्रकिया है इनमें प्रमुख रोबर्स्टन एवं मेलकाम है (दोषी, 2002 से उद्धृत)।

आज भारत में परिवर्तन लहर लगभग 33 सालों से कुछ तेज चल रही है। भारत ने जुलाई 1990 को अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने का निश्चय किया जिससे स्वयं को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत कर सके और विकास की राह में आगे बढ सके। इस प्रक्रिया ने धीरे–धीरे सम्पूर्ण भारत को अपने परिवेश में शामिल कर लिया। आज यह प्रक्रिया भारत के हर शहर से लेकर देश के दूर–दराज गांवों तक देखी जा सकती है, फिर वह चाहे किसी भी जाति–जनजाति या अन्य किसी समुदाय से सम्बन्धित गांव ही क्यों न हो।

चौधरी (2004) ने उडीसा की कोंध जनजाति के बारे में अध्ययन करते हुए उनके जीवन के बारे में विभिन्न पहलुओं के ऊपर भूमण्डलीकरण के प्रभाव का विष्लेषण किया है। कोंध जाति में राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर संगठनों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आए हैं। ये सम्पूर्ण परिवर्तन नही है, ये संरचना में परिवर्तन है।

जनजातिय विकास के मुद्दें– जनजातीय क्षेत्रों के विकास के मुद्दें बुनियादी रूप से उन क्षेत्रों के पिछडेपन, वहाँ के निवासियों की गरीबी और जनजातियों के लोगों और शेष आबादी के बीच तालमेल या समन्वय की अवधारणा से जुडे हुए हैं। विभिन्न राज्यों में जनजातियों के बडें–बडें समूह विभिन्न स्थानों पर रहते है, लेकिन कुछ जनजातियाँ और उनकी उपजातियाँ ऐसी भी हैं, जो एक साथ बडी संख्या में नही रहती है कहीं कुछ थोडे से व्यक्ति हैं, तो किसी बस्ती में उनकी संख्या हजारों में है और वे अनेक प्रकार से अपनी आजीविका चलाते हैं और उनकी बहुत सी समस्याएं हैं, इसके लिए विभिन्न राज्य अलग–अलग योजनाएं चलाते हैं जिससे उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके है लेकिन अलग–अलग जनजातियों के सामान्यतः लगभग एक समान विकास के मुद्दें है। जिन पर ध्यान केन्द्रित कर इनका समुचित विकास किया जा सकता है, जो निम्न लिखित है।

1– सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण– ऐसा देखा गया है वर्तमान भूमण्डलीकरण के दौर में इनमें परिवर्तन की लहर पहले से अधिक तेजी से चल रही है। परिणामस्वरूप ये संक्रमण की अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इन्हें अब अपनी संस्कृति से लगाव नही रहा है। ये आधुनिक संस्कृति की ओर आकर्षित होने लगे हैं जिससे इनकी संस्कृति के लुप्त होने की समस्या पैदा हो गई है। अतः इन जनजातियों की जो प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है उनको संरक्षित करने के उपाय किये जाए। जिससे उनकी प्राचीन प्रथाओं, त्यौहारों, शिल्पकलाओं को संरक्षित और विकसित किया जा सके।

2– सामुदायिक ढांचा एवं सशक्तीकरण– जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए वैधानिक, संस्थागत तथा भौतिक ढांचे के विकास का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। उद्यान विज्ञान कार्यक्रमों, पशुपालन, तथा व्यावहारिक व्यवसायों के द्वारा उपलब्ध श्रमिकों के अच्छे उपयोग का अवसर बनाना चाहिए। जनजातीय समुदायों की महिला और बच्चों एवं बच्चियों को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से सशक्त बनाया जाये ताकि वे अपने उज्जवल भविष्य के प्रति सचेत हो सके।

3– भूमि अधिकार– भूमि पर अधिकार का मुद्दा इनका महत्वपूर्ण मुद्दा है। अतः जनजातीय लोगों की जो भूमि हो उसको उन्हें स्वतंत्र रूप से दी जाए इनमें भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन उन्हें सहयोग प्रदान करे।

4– झूम खेती– भारत के कई क्षेत्रों में आज भी कई जनजातीय समुदाय झूम खेती करते हैं लेकिन अब इस प्रकार की खेती कम ही की जाती है। इस प्रकार की खेती की वजह उनकी खाध्य समस्या बनी रहती है ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि झूम खेती को नियंत्रित किया जाए और उसे वैज्ञानिक तरीके से सुधारा जाए और स्थाई तरीकें से उनको खेती करने के लिए प्ररित किया जाए।

5–योजनाओं से सम्बन्धित कार्यक्रम और जागरूकता– देश के आजाद होने के बाद से केन्द्र और राज्य सरकारों के द्वारा कई प्रकार की योजनांए चलाई जा रही हैं जो इनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास के लिए होती है लेकिन जागरूकता और शिक्षा की कमी के कारण इनको इन योजनाओं को जानकारी नही हो पाती है। परिणाम स्वरूप बहुत सारी योजनाओं से ये वंचित रह जाते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि इनको सरकारी अधिकारियों, गैर–सरकारी संगठनों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जागरूक किया जाये।

6– शिक्षा, स्वास्थ्य और सडक– जनजातिय समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके क्षेत्रों में सड़कों से सम्बधित मुद्दें हमेशा समसामयिक बने रहते हैं। जनजातीय समाज में उनके बच्चों को स्कूल में भेजने की प्रेरणा देने या उसके लिए उत्साह बढाने वाले तत्वों

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-18, No.- II, Issues-32, YEAR- April-June-2024

का अभाव होता है। इनके क्षेत्रों में स्कूलों का अभाव, स्कूल तक जाने वाले अच्छे मार्गो का अभाव, शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव, स्कूलों में अच्छे शिक्षकों का अभाव आदि शिक्षा से जुडे ऐसे मुद्दे हैं, जो कहीं न कहीं इनके शैक्षिक विकास में बाधा बनते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य से सम्बधित बहुत सारी समस्यांए दिखाई देती है। इनके क्षेत्रों में सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अच्छें प्रशिक्षित डॉक्टरों और दवाईयों का अभाव प्रायः दिखाई देता है।

7– स्वच्छ जल और खाद्यान का अभाव– जनजातीय क्षेत्रों में अक्सर लोग तालाबों और नहरों से निकलते हुए नालों आदि का पानी पीते है, जो प्रायः गन्दा और दूषित होता होता है। स्वच्छ पीने के पानी की समस्याएं इनके क्षेत्रों में प्रायः देखने को मिलती हैं। खाद्यान की समस्या भी इनके क्षेत्रों में प्रायः देखने को मिलती है इन लोगों के पास उचित मात्रा में भूमि न हो सकेने के कारण ऐसी समस्या र्पदा होती है। इनके क्षेत्रों में भूमि भी अधिक उपजाऊ नही होती और ये लोग गरीब होते है, जिसकी वजह से अपनी खेती की भूमि में उर्वरक का भी इस्तेमाल नही कर पाते ऐसे में अधिक पैदावार न होने की वजह से इनमें खाद्यान की कमी देखी जा सकती है।

8– सुरक्षा– कई बार गैर–जनजातीय लोगों के द्वारा इनके क्षेत्रों में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जो एक सभ्य, सुशिक्षित और लोकतांत्रिक समाज के लिए असहनीय और निन्दनीय होती है। जनजातीय क्षेत्रों में उनकी महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा की जाए तॉकि वे अपने आप को भारतीय समाज का अभिन्न अंग समझे साथ ही अपराधिक प्रवत्ति के गैर–जनजातीय लोगों को इनके क्षेत्रों में प्रवेश करने से, जमीन खरीदने, अवांक्षनीय कार्यो से रोका जाए।

9– कर्ज– पहले जनजातियों की अर्थव्यवस्था वस्तु–विनिमय पर आधारित थी, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ–साथ इनमें मुद्रा का चलन शुरू हो गया परिणामस्वरूप वस्तुओं को खरीदने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होने लगी। अपनी गुजर–बसर करने वाली अर्थवयवस्था में रहने वाली जनजातियों के लोगों को बीज खरीदने, छोटे–मोटे खेतिहर उपकरण खरीदने, अपनी सामाजिक एवं धार्मिक कार्यो को पूरा करने के लिए, कपडा, राशन आदि को खरीदने के कर्जदार होना पड जाता है। ऐसी स्थिति का लाभ स्थानीय सूदखोर और कर्जादेने वाले लोग उठाते हैं और तरह–तरह से जनजातियों के लोगों का शोषण करते है। अतः इनके क्षेत्रों में बैकों और सहकारी समितियों और गैर–सरकारी संगठनों की स्थापना की जाए, तॉकि इनको आसानी से कर्ज मिल सके और सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

10– कानूनी सुरक्षा– जनजातीय लोगों से संबन्धित जितने भी संवैधानिक प्रावधान एवं और इनके हितों से जुडे नियम और नीतियाँ है उसका लाभ इनको दिया जाए ताकि ये अपने सुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाकर अपना विकास और सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

11– समावेशी विकास– जनजातियों के प्रति सबसे बडा मुद्दा समावेशी विकास का है। इनके बहुमुखी विकास के तहत सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में विकास किया जा सके।

12–पुनर्वास एवं मुआवजा– विभिन्न सरकारी एवं बहुद्देशीय परियोजनाओं के लिए जो भूमि का अधिग्रहण किया जाता, उसका इनको अच्छा मुआवजा नही दिया जाता है जिससे ये अपने आप को दूसरी जगह पुनर्स्थापित नही कर पाते है।

13–रोजगार अवसरों की कमी– जनजातीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का स्तर बहुत निम्न होता है जिससे इनमें बेरोजगारी की समस्या बनी रहती हैं बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बडा मुद्दा बना हुआ है। शिक्षित युवकों को उनकी शिक्षा के अनुसार रोजगार नही मिल पाता है, क्योकि ये लोग अधिकतर बी.ए. अथवा एम.ए आदि आर्ट्स के विषय ही पढते है, जिसकी वजह इन्हें रोजगार नही मिल पाता है।

निष्कर्ष– देश के आजाद होने के 75 सालों बाद भी इनका समाज के दूसरे समुदायों जितना विकास नही हो पाया है। विकास परियोजनाओं के कारण जनजातीयों का विस्थापन हुआ जबकि उनका पुर्नवास के लिए अच्छी व्यवस्था नही की गयी। इनके क्षेत्रों में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप इनमें कई सारी संक्रमणशील बीमारियाँ पैदा हो जाती है जिनका समुचित इलाज न हो पाने से इनके बीच स्वास्थ्य सम्बन्धी गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती। आदिवासियों की हस्त–शिल्पकलाएं उनकी सांस्कृतिक व पारिवारिक संरचना धीरे–धीरे समाप्त होती जा रही है। इनको संरक्षित करने का प्रयास नही किया जा रहा है। वैश्वीकरण के कारण इनके समुदाय में कुछ विकास तो हुआ है, लेकिन अभी भी इनके समाज में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिला और बाल विकास, आधारभूत ढांचे का विकास होना बांकी है, जिससे ये अपने आप को समाज की मुख्यधारा में समायोजित कर सकें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अहमद, मेराज. 1999 विकास का समाजशास्त्र. दिल्ली : विश्व प्रकाशन।
2. भार्गव, नरेश. 2014 वैश्वीकरण : समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य. जयपुर : रावत पब्लिकेशन्स।
3. चौधरी, एस.के. 2004 टाइबल आइडेन्टिटी. नई दिल्ली : रावत पब्लिकेशन्स।
4. दोषी, एस.एल. 2002 आधुनिकता, उत्तर–आधुनिकता एवं नव–समाजशास्त्रीय सिद्धान्त : नई दिल्ली : रावत पब्लिकेशन्स।
5. हसनैन, नदीम. 2006 जनजातीय भारत. नई दिल्ली : जवाहर पब्लिशर्स एण्ड. डिस्टीब्यूटर्स।
7. मूर्ति, एन. आर. एन. 2009 बेहतर भारत बेहतर दुनियां. पेग्विन बुक्स : इंडिया यात्रा बुक्स।
8. भारत. 2017 नई दिल्ली : प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।

*****